न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 74 / 2025 दायर दिनांकः 19.08.2025

उनवान

1. सुगना बाई आयु 35 वर्ष पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9166008740

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 30.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद पटवार हल्का अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 134 का ख.नं. 252 का रकबा 0.99 हे० तथा ग्राम अर्डान्द की खाता 160 का कुल किता 8 का कुल रकबा 0.93 हे० आराजी प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 एवं 2073 से 2076 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थिया के पिता का फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त प्रार्थिया को घर पर सुगनी कहने के कारण प्रार्थिया का ग्राम पिपलोद की आराजी खाता संख्या 134 में प्रार्थिया का गलत नाम सुगन्ती बाई दर्ज कर दिया तथा ग्राम अर्डान्द की आराजी खाता संख्या 160 में प्रार्थिया का गलत नाम सुनिता बाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया का सही नाम सुगना बाई है। प्रार्थिया के दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, मतदाता सूची में प्रार्थिया का सही नाम सुगना बाई दर्ज है। बिना

सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 134 व ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 160 में प्रार्थिया का नाम सुगन्ती बाई व सुनिता बाई के स्थान पर सुगना बाई दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सुगन्ती बाई व सुनिता बाई के स्थान पर सही नाम सुगना बाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 134 व ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 160 में प्रार्थिया का नाम सुगन्ती बाई व सुनिता बाई के स्थान पर सुगना बाई दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/3056 दिनांक 15.09.2025 को शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत सुगना बाई पिता भंवरलाल जाति माली निवासी अर्डान्द, कमलेश बाई पत्नी प्रकाशचन्द जाति माली निवासी धाकडखेडी तथा रामकन्या बाई पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी अर्डान्द तहसील अटरू के एकतरफा बयान लेखबद्व किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 134, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2071–74 खाता संख्या 160, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद सम्वत 2069–72 खाता संख्या 129, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2055–58 खाता संख्या 139, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 खाता संख्या 134 ग्राम पिपलोद में सहखातेदार प्रार्थिया की बहन कमलेश बाई व प्रार्थिया की माता कन्या बाई ने सुगन्ती बाई का सही नाम सुगना बाई व जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या 160 ग्राम अर्डान्द में सहखातेदार प्रार्थिया की बहन कमलेश बाई व प्रार्थिया की माता रामकन्या बाई ने सुनिता बाई का नाम सुगना बाई होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू की खाता संख्या 134 के ख0नं0 252 रकबा 0.99 है0 आराजी में सहखातेदार सुगन्तीबाई पुत्री भंवरलाल के स्थान पर सुगना बाई उर्फ सुगन्तीबाई पुत्री भंवरलाल व ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू की खाता संख्या 160 कुल कित 8 कुल रकबा 0.93 है0 आराजी में सहखातेदार सुनिताबाई पुत्री भंवरलाल के स्थान पर सुगना बाई उर्फ सुनिताबाई पुत्री भंवरलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू की खाता संख्या 134 के ख0नं0 252 रकबा 0.99 है0 आराजी में सहखातेदार सुगन्तीबाई पुत्री भंवरलाल के स्थान पर सुगना बाई उर्फ सुगन्तीबाई पुत्री भंवरलाल व ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू की खाता संख्या 160 कुल किता 8 कुल रकबा 0.93 है0 आराजी में सहखातेदार सुनिताबाई पुत्री भंवरलाल के स्थान पर सुगना बाई उर्फ सुनिताबाई पुत्री भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां